

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/148
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00139
CICOM/R/2018/00392

दिनांक: 14.06.2018

अपीलकर्ता : श्री सरफराज अली खान,
आलम रोड, चूड़ी पट्टी,
वार्ड सं. 4, किशनगंज,
बिहार - 855108.

निर्णय की तारीख: 14.06.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.04.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	07.05.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.05.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	263/02.06.2018 (134609/31.05.2018)

- अपीलकर्ता ने आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 07.04.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - ए.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 07.04.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - ए.बी. कार्यालय द्वारा दिनांक 07.05.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00392/241 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

दाक्षिण
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

